

एसओजी व गिलौला पुलिस की संयुक्त टीम ने मैनपुरी निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया

पेट्रोल पम्प के नाम पर 95 लाख टगे

धोखाधड़ी

श्रावस्ती, संवाददाता। पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसी के लाइसेंस दिलाने के नाम पर आधा दर्जन लोगों ने कुल 95 लाख 34 हजार 403 रुपए टग लिए और फर्जी लाइसेंस बना कर दे दिए। फर्जी लाइसेंस मिलने पर पीड़ितों ने शिकायत की तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गैस एजेंसी और पेट्रोल पम्प का लाइसेंस देने के नाम पर बड़ी ठगी का खुलासा हुआ है। टग ने आधा दर्जन लोगों से कुल 95 लाख 34 हजार 403 रुपए टग लिए और फर्जी लाइसेंस बना कर दे दिए। लाइसेंस लेकर जब लोग मंडल कार्यालय गोंडगए तो पता चला कि इस नाम से कोई लाइसेंस बना ही नहीं है। इस पर गिलौला थाने में मामला दर्ज कराया। इस पर आरोपी राज किशोर चौधरी पुत्र केशव दयाल ग्राम हाजीपुर थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश एसओजी

- पैसे लेकर फर्जी लाइसेंस बना कर मोबाइल पर भेजा
- महंगी गाड़ी से चलता था आरोपी, लोगों पर रैब जमाता था



ठगी का खुलासा करते एसपी व पुलिस की गिरफ्त में मौजूद टग।

और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया।

लोगों को विश्वास दिलाने के लिए रखता था पेट्रोलियम कंपनी की आईडी : मामले का खुलासा करते हुए एसपी घनश्याम चौरसिया ने बताया कि जिन लोगों ने गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप के लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन किया था।

आरोपी डाटा को इंटरनेट से कॉपी

करके फर्जी तरीके से निकाल लेता था। इसके साथ ही उन लोगों से जल्दी लाइसेंस दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता था। इसके लिए आरोपी ने एक पेट्रोलियम कंपनी की फर्जी आईडी भी बना रखी थी।

ऊपर तक अपनी पहुंच बता कर अपने झांसे में ले लेता था और फिर मोटी रकम एंठ कर फर्जी लाइसेंस लोगों को देता था। श्रावस्ती में भी आधा

इन लोगों से टगे 95 लाख 34 हजार 403 रुपए

टग ने वीर बहादुर दूबे से 45 लाख रुपए, सहरथार पुत्र बन्बूलाल से 18 लाख रुपए, उमेश कुमार दीक्षित बलरामपुर से 09 लाख 24 हजार 403 रुपए टग लिए। इसके साथ ही मनोज कुमार तिवारी से 10 लाख 2 हजार रुपए, राम कुमार सिंह से 03 लाख 62 हजार रुपए और अनिल कुमार से 09 लाख 28 हजार रुपए टग लिए। इसके साथ ही चार अन्य लोगों से भी लाखों रुपए टगे हैं। जिसकी जांच चल रही है।

10 लोगों से की ठगी, चार ने दर्ज कराया केस

आरोपी ने जिले के 10 लोगों से ठगी की है। जिसमें करीब सवा करोड़ रुपए टग हैं। लेकिन छह लोगों ने पुलिस में केस दर्ज कराया है। जिनसे 95 लाख 34 हजार रुपए से अधिक की ठगी की। पुलिस ने आरोपी को गिलौला थाने के तिलकपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जेल भेज दिया। एसपी घनश्याम चौरसिया ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है।

दर्जन लोगों को फर्जी लाइसेंस दिया। लेकिन जब पीड़ित व्यक्तियों ने गोंडा डिपो में पहुंच कर अपने लाइसेंस के बारे में पता किया गया तो सभी का लाइसेंस फर्जी पाया गया।

आरोपी के पास से बरामद की गई महंगी गाड़ी व अन्य सामान : टग के आरोपी राज किशोर चौधरी पुत्र केशव दयाल ग्राम हाजीपुर थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश के पास से

पुलिस ने एक फाचुनर गाड़ी, 03 अदद मोबाइल, 5 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 04 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 03 निर्वाचन कार्ड, 01 एचपी रिफ्यूल कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वालों की टीम में एसओजी प्रभारी नितिन वादव, गिलौला थानाध्यक्ष महिमा नाथ उपाध्यक्ष सहित एक दर्जन पुलिस कर्मी मौजूद रहे।